न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः— सन्दीप कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 15/2016

1. नरेश कुमार पुत्र श्री निहालचन्द जाति बिश्नोई निवासी डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. अनिल कुमार पुत्र श्री निहालचन्द जाति बिश्नोई निवासी डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रिछपाल पुत्र श्री मोहकमराम जाति बिश्नोई निवासी डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—अप्रार्थी

राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251—क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थितिः—

1. श्री गुरप्रताप सिंह वकील प्रार्थीगण
2. श्री हेतराम बिश्नोई वकील अप्रार्थी सं. 1

निर्णय

दिनांकः—19.08.2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राज. काश्त. अधि. 1955 के तहत प्रस्तुत कर चक 6 एन.पी. प.नं. 143/320 मु.नं. 68 कि.नं. 10 की 0.253है में से दक्षिणी दिशा में 1 बिस्वा रास्ता स्वीकार करने एवं किला नं. 1—10—11—20—21 में चल रहे रास्ता का अंकन अभिलेखों में किये जाने के आदेश देने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण का तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मु.नं. 68 के कि. नं. 1—10—11—20—21 में कोई रास्ता मंजूर नहीं हैं इन किले में कोई रास्ता नहीं हैं व न ही चालू हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता कि.नं. 10 में वह किसी भी मंजूरशुदा रास्ता से मिलान नहीं करता हैं। प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने के लिए रास्ता लगता हैं। प्रार्थीगण की सुविधा के लिए नया सुविधाजनक रास्ता की मांग नहीं कर सकते। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। विकल्प में यदि रास्ता स्वीकार किया जाता हैं तो रास्ता में आई भूमि के बदले दूगणी भूमि इसी मुरब्बा के कि.नं. 14 में दिलाने हेतु निवेदन किया। भू अभिलेख निरीक्षक डाबला से मौका जांच रिपोर्ट ली गयी। मुताबिक रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक डाबला के अनुसार चक 6 एन.पी. मु.नं. 68 प.नं. 143/320 कि.नं. 3,4,5,6,7 की 1.265है, 8 में .215है, 13 में .013, 14 में .164 कुल 1.657 है नहरी रकबा अनिलकुमार नरेश कुमार पि0 निहालचन्द कौम बिश्नोई सा. डाबला के नाम कि.नं. 1/.127, 2/.013, 10/.228, 18/.076, 19/.253, 20—21/.456, 22ता25/1.052 कुल 2.165 है. रिछपाल पुत्र मोहकमराम खातेदार दर्ज हैं। इस मु.नं. के कि.नं. 1—10—11—20—21 में दो—दो बिस्वा रास्ता खेत स्वीकृतशुदा हैं। प्रार्थी की सांझा खाता में कि.नं. 9 में भूमि पड़ती हैं। कि.नं. 9 तक पंहुचने के लिए प्रार्थी को रास्ता नहीं हैं। अतः कि.नं. 10 में दक्षिणी दिशा में 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करना उचित हैं। क्योंकि आवेदक को अपने कृषि भूमि में आने जाने हेतु अन्य रास्ते की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। आवेदक का प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की जाती हैं।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हैं, प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। यदि रास्ता स्वीकार किया जाता हैं तो राजस्व में

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

आई भूमि के बदले दोगुणा भूमि मुआवजा के तौर पर दिलाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 13.08.2019 पेश कर निवेदन किया कि यदि रास्ता स्वीकार किया जाता हैं तो मु.नं. 68 के कि.नं. 25 के पूर्वी दिशा में पत्थर लाईन के साथ–साथ मंजूर किया जा सकता हैं। कि.नं. 25 की भूमि मुझ अप्रार्थी के नाम से हैं। कि.नं. 9 की भूमि में रास्ता मंजूर किया जाने पर अप्रार्थी की भूमि दो भागों में बंट जावेगी जिससे काश्त करने में असुविधा होगी। रास्ता में आयी भूमि के बदले में मुझ अप्रार्थी को कि.नं. 16 या कि.नं. 14 में चिपती भूमि दिलायी जाने हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष के अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड, रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक, नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन करने पर न्यायालय का यह निष्कर्ष हैं कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता का अभाव हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन एवं तथ्यों तथा भू अभिलेख निरीक्षक की अनुशंषा के आधार पर चक 6 एन.पी. मु.नं. 68 के कि.नं. 10 में दक्षिणी दिशा में 1[redacted] बिस्वा गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। प्रार्थीगण रास्ते में आई भूमि के बदले मुआवजे के तौर पर अप्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ते में आई भूमि के जितनी ही भूमि अप्रार्थी के रकबे के चिपति देगें। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर अप्रार्थी के रकबा के चिपते प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में रास्ते में आई भूमि जितना रकबा कम करते हुए अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज करें। तथा उक्त स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। इसी आश्य का आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के नाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner